# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

**महावीर** बनाम स्टेट व मदनलाल **वगैरा**

किस्म मुकदमाः— प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नं.—110 सन् 2018

वकील प्रार्थी :— श्री अनिल कुमार शर्मा, एडवोकेट वकील अप्रार्थीगण—

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.5.2018 | उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी अभिभाषक की और से प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिस पर बहस एक पक्षीय सुनी गई। एक पक्षीय बहस उपरान्त व प्रार्थी के शपथपत्र के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्व आगामी तिथि अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी चक 1 ए डब्ल्यू एस एम के किला नम्बर 1,10,11,20 व 21 की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे व किला नम्बर 1,10,11,20 व 21 में बनी आड़ को ध्वस्त करने से निषेद्व रहे। यदि इस सम्बन्ध में कोई उज्र व एतराज हो तो आगामी पेशी तक जवाब पेश करे। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 15/6/18 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>सहायक कलक्टर<br>एवं उपखण्डाधिकारी<br>हनुमानगढ़ | |
| 4.6.18 | पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ ने स्वयं उपस्थित आकर इस आशय का प्रार्थना-पत्र दि. 31.5.18 को पेश किया कि पत्रावली 15.6.18 पेशी मुकर्रर है और स्थगन आदेश जारी है, रास्ता के संबंध में स्थगन आदेश है, 7-8 गांवों व [illegible] के व्यक्ति प्रभावित है, सार्वजनिक हित का मामला है नियत पेशी से पूर्व ली जाकर कार्यवाही की जावे। प्रार्थी अभिभाषक को बार-2 आवाज लगाई हाजिर नहीं आये। [illegible] अभिभाषक अप. 1 वीरबल [illegible] S/o बनवारीलाल [illegible] | |

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

निवासी किशनपुरा तिरवाड़ा ने भी प्रा. पत्र
पेश किया है। स. D.R HMMH के पत्र क्रमांक
2083 दिनांक 1.6.18 से रिकार्ड एवं मौका
की निगरानी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पत्रावली
पर एक वकील बहस माननीय अभिभाषक
सुनी गई। प्रार्थना-पत्र के संलग्न दस्तावेज
पत्र सं. 3/11 (104/18) तहसीलदार वि. स्टेट
का अवलोकन किया जो RAA HMMH से
रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। वादी अभिभाषक
की ओर 22.5.18 को उक्त प्रा.पत्र पेश कर
एक तरफा सुना जाकर स्थगन आदेश जारी
किया गया है। तहसीलदार ([illegible]) हनुमान
गढ़ प्रतिवादी सं.1 की ओर से बताया गया कि
मामला सार्वजनिक हित का है तथा स्थगन
जारी होने से 7-8 गांवों के लोग प्रभावित
होंगे। अतः सार्वजनिक हित का मामला होने
से जारी स्थगन आदेश दि. 22.5.18 को
खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला
हुक्म हो। मूल वाद-पत्र के संलग्न रहे

(signature)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner